FORM NO. III

GCMS No. 2025/670

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी **मुकाम** बाप जिला–फलोदी

तहसीलदार **बाप** **बनाम** **प्रभुराम वगैरा**

किस्म मुकदमा 152 सी.पी.सी. **मु.नं.** 367 **सन** 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.12.2025	प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता अन्तर्गत धारा 152 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण के पेश किया जो दर्ज रजिस्टर किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया कि कि ग्राम श्रीशक्तिनगर के खसरा नंबर 1023, 1024 व 1023/4 में रास्ते की घोषणा हेतु प्रस्ताव तैयार कर तहसीलदार बाप ने पेश किया था। प्रस्ताव अनुसार उपरोक्त वर्णित खसरान् से रास्ते हेतु इस्तदुआ चाही थी लेकिन आदेश टंकण करते समय ग्राम श्रीशक्तिनगर के खसरा नम्बर 1023 रकबा 59.8529 हैक्टेयर भूमि में से रकबा 0.1496 हैक्टेयर शेष भूमि रकबा 3.0069 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1024 रकबा 1.7482 हैक्टेयर में से रकबा 0.1496 हैक्टेयर शेष भूमि 2.9988 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1023/4 रकबा 8.0937 हैक्टेयर में से रकबा 0.1496 हैक्टेयर शेष रकबा 2.9988 हैक्टेयर भूमि भूल से टंकण कर दिया गया। इसलिए उक्त निर्णय में ग्राम श्रीशक्तिनगर के खसरा नम्बर 1023 रकबा 59.8529 हैक्टेयर भूमि में से रकबा 0.8791 हैक्टेयर शेष भूमि रकबा 58.9738 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1024 रकबा 1.7482 हैक्टेयर में से रकबा 0.1496 हैक्टेयर शेष भूमि 1.5986 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1023/4 रकबा 8.0937 हैक्टेयर में से रकबा 0.1496 हैक्टेयर शेष रकबा 7.9441 हैक्टेयर भूमि रास्ते हेतु घोषित करने का संशोधित आदेश जारी किये जाने के आदेश फरमावे। पत्रावली पर उपलब्ध आदेश एवं प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि उक्त आदेश में सेवन से ग्राम श्रीशक्तिनगर के खसरा नम्बर 1023 रकबा 59.8529 हैक्टेयर भूमि में से रकबा 0.8791 हैक्टेयर शेष भूमि रकबा 58.9738 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1024 रकबा 1.7482 हैक्टेयर में से रकबा 0.1496 हैक्टेयर शेष भूमि 1.5986 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1023/4 रकबा 8.0937 हैक्टेयर में से रकबा 0.1496 हैक्टेयर शेष रकबा 7.9441 हैक्टेयर के स्थान पर खसरा नम्बर 1023 रकबा 59.8529 हैक्टेयर भूमि में से रकबा 0.1496 हैक्टेयर शेष भूमि रकबा 3.0069 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1024 रकबा 1.7482 हैक्टेयर में से रकबा 0.1496 हैक्टेयर शेष भूमि 2.9988 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1023/4 रकबा 8.0937 हैक्टेयर में से रकबा 0.1496 हैक्टेयर शेष रकबा 2.9988 हैक्टेयर टंकित कर दिया गया जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। **आदेश** प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सिविल प्रक्रिया संहिता का स्वीकार किया जाता है कि न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 312/2025 अनवान सरकार बनाम प्रभुराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 29.09.2025 में आंशिक संशोधन करते हुए ग्राम श्रीशक्तिनगर के खसरा नम्बर 1023 रकबा 59.8529 हैक्टेयर भूमि में से रकबा 0.1496 हैक्टेयर शेष भूमि रकबा 3.0069 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1024 रकबा 1.7482 हैक्टेयर में से रकबा 0.1496 हैक्टेयर शेष भूमि 2.9988 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1023/4 रकबा 8.0937 हैक्टेयर में से रकबा 0.1496 हैक्टेयर शेष रकबा 2.9988 हैक्टेयर के स्थान पर ग्राम श्रीशक्तिनगर के खसरा नम्बर 1023 रकबा 59.8529 हैक्टेयर भूमि में से रकबा 0.8791 हैक्टेयर शेष भूमि रकबा 58.9738 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1024 रकबा 1.7482 हैक्टेयर में से रकबा 0.1496 हैक्टेयर शेष भूमि 1.5986 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1023/4 रकबा 8.0937 हैक्टेयर में से रकबा 0.1496 हैक्टेयर शेष रकबा 7.9441 हैक्टेयर पढा व समझा जावे। शेष प्रविष्टयां यथावत रहेगी। मिसल फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। मूल प्रकरण के साथ नत्थी हो। निर्णय आज दिनांक 19.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर से सरे इजलास सुनाया गया। Saty.. (सत्य नारायण– I, R.A.S.) सहायक कलक्टर बाप (फलोदी)	